

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651-2400981, फैक्स: 0651-2400982, ई-मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

मुकेश कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

राँची दिनांक 07.07.2026

विषय:- पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिलान्तर्गत प्रखण्ड सदर में पूर्व से निर्मित बिरसा मुण्डा इन्डोर बैडमिन्टन स्टेडियम का सम्पूर्ण मरम्मत कार्य हेतु रु० 50,00,000/- (पचास लाख) मात्र निधि का आवंटन।

प्रसंग: विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-09/रा०, दिनांक-29.04.2026 एवं प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं०-41/रा०, दिनांक-08.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों एवं उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-106/खे०, दिनांक- 20.03.2026 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं पत्रांक- 272, दिनांक-25.06.2026 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना बजट मुख्य शीर्ष 2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएँ- लघु शीर्ष - 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - उप शीर्ष - 56 - राज्य के विभिन्न स्टेडियमों एवं खेल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, सुसज्जीकरण एवं रख-रखाव - विस्तृत शीर्ष - 05 - निर्माण- प्राथमिक इकाई -43 - अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) इकाई मद में उपबंधित राशि से रु० 50,00,000/- (पचास लाख) मात्र आवंटित किया जाता है। (विपत्र कोड: 52S 22040079656000543)

2. आवंटन की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	जिला	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	वर्तमान में आवंटित राशि (रु० में)
1.	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिलान्तर्गत प्रखण्ड सदर में पूर्व से निर्मित बिरसा मुण्डा इन्डोर बैडमिन्टन स्टेडियम का सम्पूर्ण मरम्मत कार्य	77,74,200/-	50,00,000/-
कुल			77,74,200/-	50,00,000/-

(पचास लाख) रुपये मात्र।

- राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से की जायेगी।
- उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा योजना का कार्यान्वयन पी०डब्ल्यू०डी० कोड के आलोक में अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा विषयांकित योजना से संबंधित तकनीकी अनुमोदित प्राकलन के अनुरूप ही कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- विषयांकित योजना दिनांक-30.06.2027 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में ही कराया जायेगा ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।

7. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरुद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।
8. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक-17.04.98, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
9. राशि का विचलन कदापि नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
10. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
11. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।

ज्ञापांक : 58/आ.

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची /निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची /माननीय विभागीय मंत्री के आप्त /विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/जिला क्रीड़ा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुकेश कुमार)

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक: 07-07-2026

सरकार के सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

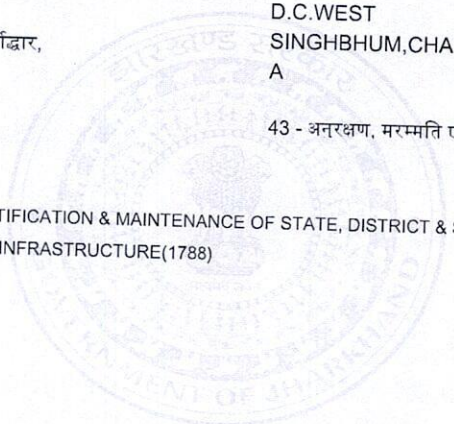
Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Spo

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 1/ST-03-10/2026/-58

दिनांक - 07-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 52 22040079656000543 2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएं 00 - खेलकूद तथा युवा सेवाएं 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 56 - राज्य के विभिन्न स्टेडियों एवं खेल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, ससज्जीकरण एवं रख-रखाव 00-NA 05 - निर्माण State Scheme	38586	SGHDAD076 MANISH KUMAR D.C.WEST SINGHBHUM,CHAIBASA A 43 - अनुरक्षण, मरम्मत एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	5,000,000.00 रुपये पचास लाख
State Scheme :		RENOVATION, BEAUTIFICATION & MAINTENANCE OF STATE, DISTRICT & SUB DIVISION LEVEL		
Central Scheme :		STADIUM & SPORTS INFRASTRUCTURE(1788)		



योग: रुपये पचास लाख

5,000,000.00

(MUKESH KUMAR)

SECRETARY

Run Date: 7/7/2026